

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक Shri. Sushil Kambampati, Gurgaon के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2017 जो कि इस विभाग में दिनांक 05.10.2017 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र के द्वारा यहीं जा रही सूचना का संबंध इस विभाग से संबंधित न होकर आपके विभाग से संबंधित होना प्रतीत होता है।

अतः आवेदन पत्र के साथ सलग्न आवेदन शुल्क 10 रुपये के एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर को राजकोष में जमा कराते हुऐ मूल आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2017 को सलग्न कर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपके विभाग को अन्तरित किया जा रहा है। कृपया वांछित सूचना आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करे। यदि सूचना का संबंध आपके विभाग से नहीं है तो निकट संबंधित विभाग को हस्तान्तरित करते हुए आवेदक एवं इस विभाग को सूचित कराने का श्रम करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

E

(विवेक कुमार)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
शासन संयुक्त सचिव

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
शासन संयुक्त सचिव,  
कार्मिक (क-1) विभाग,  
शासन सचिवालय, जयपुर।

अशा टीप संख्या: प. 9(2)(16)का / क-3 / जांच / 2015पार्ट  
जयपुर, दिनांक

9 OCT 2017

प्रतिलिपि:-

- 01 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त दस रुपये के एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर 38एफ 978542 को राजकोष में जमा कराने हेतु सलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न: उपरोक्तानुसार।)
- 02  Shri. Sushil Kambampati, white Rann Content & Services T7XDWURB-6 th Floor, JMD Regent Square, M G Road, Gurgaon 1220022, को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रेषित उक्त आवेदन के क्रम में वांछित सूचना हेतु भविष्य में कार्मिक (क-1) विभाग से पत्राचार करे।  
(स्पीड पोस्ट द्वारा)



राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
शासन संयुक्त सचिव